from each of the Central Ministers that they or any Member of their family have not been involved directly or indirectly in the shares scam;

(b) whether it is also a fact that Government have made public statement to the effect that none of the Ministers have been involved in the shares scam; and

(c) if so, on what basis the statement has been made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Central Bureau of Investigation has reported that during the invetigation conducted so far by them, the involvement of any Minister has not been noticed. Statements made in this regard are baesd on investigations made so far in the matter.

विदेशों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की राशि को बट्टे-खाते में डाला जाना

2000. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री कैलाश नारायण सारंग :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाएं विदेशों में कार्यरत हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों को उनके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली न हो पायी राशि को बट्टे खाते में डालने के संबंध में सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा इस प्रकार बट्टे-खाते में डाली गयी राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन बैंकों को विदेशों में कार्यरत शाखाओं को इस अवधि के दौरान इस कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति उन्हें करने हेतु भेजी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने सरकारी क्षेत्र के सभी बकों को, अधिकारियों द्वारा किसी भी रकम को बट्टे-खाते डालने से पहले कुछ पहलुओं पर विचार करने से संबंधित विस्तृत मार्गनिर्देश जा ी किए हैं । इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि जिस अधिकारी ने प्रश्नाधीन अग्रिम मंजूर किया था, उसके द्वारा उस अग्रिम को बट्टे-खाते नहीं डाला जाना चाहिए । इन मार्गनिर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी रकम को बट्टे-खाते डालने/समझोता करने का निर्णय लेने से पहले देय रकमों की वसूली के लिए सभी संभव कदम उठाये जाने चाहिए ।

(ग) और (घ) इस जानकारी को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा । यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा विदेशों में स्थित अपनी शाखाओं को भेजी गयी रकम अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने के लिए ही आमतौर पर ये रकमें सांविधिक लेखा-परीक्षकों/मेजबान देश के अधिकारियों द्वारा पता लगायी गयी प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार भेजी जाती है ।

राजीव फाउंडेशन को वित्तीय सहायता

2001. **डा० बापू कालदाते :**
श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक संस्थाओं ने राजीव फाउंडेशन को वित्तीय सहायता प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो 29 जून, 199 तक प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां । अनेक संस्थाओं ने राजीव गांधी निधि (ना कि राजीव निधि) को दान दिया है । (ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न में उक्त निधि द्वारा प्राप्त किए गए दान का उल्लेख किया गया है।)

(ख) जून 1992 के अंत तक संस्थाओं सहित 203 व्यक्तियों से दान के रूप में कुल 10.77 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी ।

Abolition of Top level Posts

2002. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of Secretary and Additional Secretary level posts abolished so far;

(b) what is the number of other posts ablished so far in various Government Departments; and

(c) what is the amount of saving realised on account of abolition of these posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) Seventeen posts of Secretary level and 6 posts of Additional Secretary level have been identified for abolition. Out of these, 5 posts of Secretary level and 2 posts of Additional Secretary level have already been abolished and the remaining posts would be abolished in a phased manner.

(b) Information received so far from the Miinstries/Departments reveal that about 1900 posts at various levels have been abolished.

(c) The saving on account of abolition of these posts is expected to be about Rs. 6 crores per annum.

उत्तर प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा दावा की गई बीमा राशि का भुगतान करने में विलम्ब किया जाना

2003. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जान-माल को नुकशान पहुंचाने के बावजूद भारतीय जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम और वित्त निगम बीमा की राशि का भुगतान नहीं कर रहें हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों से बीमे की राशि लंबित रहने के कितने मामले लंबित पडे हैं ; और

(घ) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जहां तक जीवन बीमा निगम का संबंध है, उत्तर प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान देय 11006 दावों में से निगम द्वारा 9722 मृत्यु संबंधी दावों का निपटान किया गया । उत्तर प्रदेश में, 2 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित पडे दावों की कुल संख्या केवल 55 है । ये मामले दावेदारों के बीच विवादों प्रतिविरोधात्मक दावों के कारण न्यायालय में चल रहे मामलों, दावेदारों, द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न किए जाने आदि कारणों से लंबित पड़े हैं ।

जहां तक, साधारण बीमा निगम का संबंध है, दावे संबंधी आंकडे राज्यवार नहीं रखे जाते हैं ।